

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
(अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य को सील करने हेतु आदेश)

पत्रांक : 2169/वाद सं० आर-0344/एस-12/2024

दिनांक: 26/6/2024

श्री शिवम त्यागी/भवन स्वामी,
कैलाशपुर नियर-शिक्षक इन्क्लेव,
देहरादून।

विपक्षी श्री शिवम त्यागी/भवन स्वामी, कैलाशपुर नियर-शिक्षक इन्क्लेव, देहरादून, द्वारा उपरोक्त पते/स्थल पर लगभग 30 फिट गुणा 60 फिट के क्षेत्रफल में कोई भी मानचित्र स्वीकृत कराये बिना आवासीय भवन का निर्माण कार्य किया जा रहा है। निर्माण कार्य किये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा, उत्तराखण्ड प्रदेश (उ० प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत नोटिस जारी कर वाद संख्या आर-0344/एस-12/2024 योजित किया गया है।

उपरोक्त वाद में दिनांक 29.04.2024 को धारा 27 एवं 28 (1) के अधीन आदेश उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेशनगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम, 2009 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत विपक्षी को कारण बताओ नोटिस प्रेषित किया गया। जिसे विपक्षी के पते पर दिनांक 29.04.2024 को स्थल पर चस्पा/तामिल करवाया गया।

उक्त नोटिस के द्वारा विपक्षी को अवगत कराया गया कि, इनके द्वारा कैलाशपुर नियर-शिक्षक इन्क्लेव, देहरादून, में प्राधिकरण की अनुमति के बिना निर्माण कार्य किया जा रहा है। स्थल पर निर्माण कार्य किये जाने तथा विपक्षी को पक्ष प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 04.05.2024 की तिथि नियत की गयी थी। विपक्षी नियत तिथि पर उपस्थित रहे। उक्त के उपरान्त विभिन्न तिथियां नियत की गई। जिसमें विपक्षी उपस्थित रहें। किन्तु वर्तमान तक विपक्षी द्वारा चालान शुदा निर्माण का कोई शमन मानचित्र प्रस्तुत किया गया, तथा चालान शुदा निर्माण के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण चालानशुदा निर्माण को सील किया जाना उचित होगा।

अतः उक्त परिस्थितियों में पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन उपरान्त सम्पूर्ण चालान शुदा अवैध निर्माण के विरुद्ध सीलिंग आदेश पारित करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं रह जाता है।

—आदेश:—

विपक्षी श्री शिवम त्यागी/भवन स्वामी, कैलाशपुर नियर-शिक्षक इन्क्लेव, देहरादून, द्वारा उपरोक्त पते/स्थल पर लगभग 30 फिट गुणा 60 फिट के क्षेत्रफल में कोई भी मानचित्र स्वीकृत कराये बिना आवासीय भवन का निर्माण कार्य किया जा रहा है। निर्माण कार्य किये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा, उत्तराखण्ड प्रदेश (उ० प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 के अन्तर्गत चालान शुदा निर्माण को सील करने के आदेश पारित किये जाते हैं। उक्त अवैध निर्माण को प्राधिकरण द्वारा दिनांक 02/7/24 को सील किया जाना है।

अतः विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि सील की तिथि से पूर्व उक्त परिसर को खाली कर दे तथा स्थल पर स्वयं उपस्थित रहकर सील की कार्यवाही निष्पादित करायें। विपक्षी को ये भी निर्देश दिया जाता है कि स्थल पर लगाई गयी सील को न तो क्षतिग्रस्त करे, और न होने दें। क्योंकि उक्त कृत्य शासकीय कार्य में बाधा डालना एवं सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने के समान है, जो कानूनन दण्डनीय अपराध है।

Chinam.

Ganesh 25/6/24

पी०अधि०/अधि०अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

9c